

## Conduct of Elections Rules, 1961

(Statutory Rules And Order)

FORM 21C

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

\*Election to the House of the People from the **1-Tehri Garhwal** parliamentary constituency in **Uttarakhand** (State/Union territory).

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

**MALA RAJYA LAXMI SHAH** (Name)

**Rajmahal, narendra Nagar, Tehri Garhwal, Uttarakhand** (Address)  
[sponsored by **Bharatiya Janata Party** (name of the recognised/ registered political party)] has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : *Dehradun*

Date : 23-05-2019



*[Signature]*  
(Shri S.A Murugesan)  
Returning Officer

01 Tehri Garhwal Parliamentary  
Constituency

## प्ररूप-21ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

उत्तराखण्ड (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) के 01-टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि-

श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह (नाम) राजमहल नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल (पता) जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यताप्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किये गए/की गई।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गई हैं।



स्थान- देहरादून

तारीख- 23/05/2019

हस्ताक्षर.....

रिटर्निंग आफिसर